न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा के समक्ष बापी

तारीख हुक्म	सत्य नारायण 4/5 मिर्जा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज T-I. प्र.सं. 67/2017	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13-6-18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प मेई बापी में पेश हुई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का मूल वादतमस्सुक एवं सगाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है। मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्षों को आगामी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा उभयपक्षों को मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय से प्रतिबन्धित किया जाता है कि ग्राम बापी स्थित ख.नं. 854, 855, 856, 857, 859, 909, 910, 1971, 2069, 2070, 2071, 2082, 853, 899, 900, 1754, 897 तथा 2405 के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रकरण फैसल शुमारी नम्बर से कम है तथा वादतमस्सुक प्रविष्ट लोक नजीर है एवं मूल वाद के संलग्न है। निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प मेई बापी के समक्ष आम में लिखाया जाकर सुनाया गया। 13/6/18 सहायक कलक्टर दौसा	